वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद): (क) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, 1980-81 से 1992-93 तक की अवधि के दौरान व्यय की तुलना में कुल आय में निरंतर वृद्धि दिखाई दी है।

(ख) वर्ष 1980-81 के लिये कुल आय, कुल व्यय, आय की तुलना में व्यय की प्रतिशता और आय की तुलना में अधिशेष की प्रतिशतता का ब्यौरा निम्नानुसार था:—

कुल आय.....	1009.53 करोड़ रुपये
कुल व्यय.....	349.53 करोड़ रुपये
आय की तुलना में व्यय की प्रतिशतता	34.62
आय की तुलना में अधिशेष की प्रशितता	20.80

(ग) और (घ) 1985-86 के दौरान आय की तुलना में व्यय की प्रतिशतता 56.20 और आय की तुलना में अधिशेष की प्रतिशतता 9.50 थी।

(ङ) वर्ष 1992-/93 के लिये, कुल आय, कुल व्यय, आय की तुलना में व्यय के प्रतिशतता और आय की तुलना में अधिशेष की प्रतिशतता का ब्यौरा निम्नानुसार था:—

कुल आय.....	5632.12 करोड़ रुपये
कुल व्यय.....	4128.12 करोड़ रुपये
आय की तुलना में व्यय की प्रतिशतता	73.30
आय की तुलना में अधिशेष की प्रशितता	26.63

(च) जी, नहीं।

(छ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

लघु उद्योग क्षेत्र को प्राथमिकता के आधार पर ऋण

894. **श्री राम जेठमलानी:**
डा० जिनेन्द्र कुमार जैन:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 फरवरी, 1994 के फाइनेंसियल एक्सप्रेस" में "बैंक्स आस्कड टू गिव प्रायोरिटी टू स्माल सेक्टर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने राष्ट्रीकृत बैंकों को इस बात के निर्देश दिये हैं कि देश के 45 जिलों में लघु उद्योगों को उनकी आवश्कतानुसार ऋण प्रदान किये जाएं;

(ग) यदि हां, तो ये जिले किस-किस राज्य में स्थित है और प्रत्येक राज्य में कितने-कितने जिले हैं;

(घ) क्या सरकार ने इन जिलों में स्थापित लघु इकाइयों के मालिकों को उन को प्रदान की जा रही सुविधाओं की जानकारी प्रदान क रने हेतु जन प्रचार माध्यम का उपयोग किया है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित लघु और कुटीर उद्योगों की चल पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये देश में कार्यरत वित्तीय संस्थाओं को भी आदेश जारी किये हैं; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद): (क) जी हां।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 20, लाख रुपये की परियोजना लागत के लिये भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की एकल खिड़की योजना के अंतर्गत बैंक लघु क्षेत्र के उद्योगों का वित्तपोषण करने के लिये कार्यशील पूंजी और सावधि ऋण प्रदान करते हैं। यह योजना राज्य वित्तीय निगमों और वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्यक बैंकों को इस आशय के निर्देश जारी किये थे कि उन्हें एकल खिड़की योजना के अंतर्गत देश के 85 जिलों में से 45 जिलों में वित्तपोषण करने वाली प्रमुख एजेंसी के रुप में काम करना होगा और इनमें से प्रत्येक जिले में 2000 से अधिक लघु क्षेत्र की इकाइयां होंगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने तदनुसार 20.11.1993 को वाणिज्यिक बैंकों को 14 राज्यों में 45 जिले आबंटित किये। इसके बाद फरवरी 1994 में भारतीय बैंक ने वाणिज्यिक बैंक को 17 और जिले आबंटित किये। 14 राज्यों के नाम और ऐसे जिलों की संख्या विवरण में दी गई है नीचे देखिये)।

(घ) और (ङ) ऋण वितरण तंत्र में सुधार करने के लिये ऋण नीति में किये गये परिवर्तनों और बैंकिंग प्रणाली की पहलों को सामान्यतया पर्याप्त प्रेस कवरेज मिलता है।

(च) और (छ) भारतीय रिजर्व बैंक ने अक्तूबर 1993 की अपनी ऋण नीति में अन्य बातों के साथ-साथ यह अपेक्षा की कि प्रत्येक बैंक द्वारा एस एस आई को दिये जाने वाले कुल ऋण का 40% भाग कुटीर उद्योगों, खादी और ग्रामोद्योगों, कारीगरों और लघु उद्योगों तथा 5 लाख रुपए तक की ऋण सीमा वाले एस एस आई को दिया जाना चाहिये।

विवरण

राज्य का नाम	जिलों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	3
बिहार	3
गुजरात	3
हरियाणा	2
जम्मू और कश्मीर	1
कर्नाटक	4
केरल	8
मध्य प्रदेश	12
तमिलनाडु	6
महाराष्ट्र	1
पंजाब	4
राजस्थान	3
उत्तर प्रदेश	4
पश्चिम बंगाल	8